

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.10.2021

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-06 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कल्लू चौहान पुत्र चन्द्रिका निरो ग्राम सिसई मौजा परसियारानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-199 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. फूलपता पत्नी परशुराम निरो दुल्हापुर गौरवा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-240 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कोरो नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीलम पत्नी राम पाल निरो इमलिया गुरुदयाल थाना कोरो नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-773 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कर्ताराम पुत्र इन्द्रर निरो सेकुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीरो अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-335 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.10.2021

छेड़छाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफतार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफतारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने छेड़छाड करने के आरोपी अभियुक्त जीशान को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफतार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिंग लड़की के साथ छेड़छाड किया था।

गिरफतार अभियुक्त—

01. जीशान पुत्र जमाल अहमद निः 0 शेखपुरवा मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0-302 / 21, धारा 354घ,354क,506,504 भादवि, 3(1)द,3(1)(डब्यू) एस0सी0एस0टी0 एकट, 7 / 8 पाक्सो एकट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफतार कर्ता टीम—

उ0निः 0ओमप्रकाश यादव मय टीम।